राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विषयः– राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को जारी सहायतार्थ अनुदान (योजनावार तथा संस्थावार) की स्वीकृतियों का डेटाबेस (Saction Database) तैयार करने बाबत।

संदर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प:4(283)वित्त –1(1)आय–व्ययक/2010 दिनांक 5.12.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए, सूचना मुख्यलेखाधिकारी अनुभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

मुख्य लेखाधिकारी

1. अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन)
2. परियोजना निदेशक, एस.सी.पी./टी.एफ.एण्ड एम.
3. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, छात्रावास
4. सहायक निदेशक (विकलांग)
5. संयुक्त निदेशक (परिवीक्षा)
6. मुख्य बालक अधिकारी
7. उप निदेशक पिछडी जाति
8. महा प्रबन्धक अन्य पिछडा वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. सचिव, अनु. जाति/जनजाति निगम।
10. सचिव, आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग।
11. सचिव पशु पालक बोर्ड
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को प्रेशित कर लेख हैं कि निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करें।

यू.ओ. नोट क्रमांक : एफ. 3(2)(3)सशों. बजट/सा.न्या.अ.वि./11–12/12723-32
जयपुर, दिनांक : 16/12/11

A.O. Downloaded from website. Pl. issue to all o/cs for compliance of 15.12.1

9/ 8/12/11.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकःप.4(283)वित्त–1(1)आय–व्ययक/2010 दिनांक : 5 दिसम्बर, 2011

परिपत्र

विषय :– राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को जारी सहायतार्थ अनुदान (योजनावार तथा संस्थावार) की स्वीकृतियों का डेटाबेस (Sanction Database) तैयार करने बाबत।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक टी.एम. /विविध/डेटाबेस/2011–12/436/दिनांक 21.10.2011 (पत्र की प्रति संलग्न) के द्वारा एक प्रपत्र संलग्न कर राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली सहायतार्थ अनुदान की राशि का **योजनावार तथा संस्थावार** विवरण इस प्रपत्र मे दर्शाया जाकर उन्हें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

इस प्रपत्र के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा इन निकायों तथा संस्थाओं के पक्ष में जारी स्वीकृतियों में लेखामद, योजना का नाम, जिस विभाग(संस्था) को स्वीकृति जारी की गई उसका नाम (कार्यकारी संस्था), सम्पत्तियों के सृजन के लिए जारी की गई राशि, स्वीकृति की कुल राशि तथा पिछले वर्ष तक जारी स्वीकृतियों की कुल राशि आदि दर्शाई जानी है।

अतः समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में आदिनांक तक जारी की गई स्वीकृतियों का विवरण संलग्न प्रारुप में तैयार कर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को अविलम्ब उपलब्ध करावें। यह भी अनुरोध है कि भविष्य में जारी की जाने वाली समस्त स्वीकृतियों में उक्तानुसार समस्त विवरण अनिवार्य रुप से अंकित किया जाए तथा इनका पृष्ठांकन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को आवश्यक रूप से किया जावे।

संलग्न : पत्र की प्रति (दो पृष्ठ)।

(अखिल अरोरा)
सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा/हक), राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक टी.एम. /विविध/डेटाबेस/2011–12/436/दिनांक 21.10.2011 के संदर्भ में
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
3. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी / विभागाध्यक्ष
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
5. विशेषाधिकारी / उप शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग
6. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जयपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग

5.12.2011
निदेशक (बजट)

[21/2011]

C:\Users\HCL\Desktop\A4letter-28-11-2011.doc

संख्या / No. टी.एम. / विविध / डेटाबेस / 2011-12 / 436

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 21.10.2011

शासन सचिव (बजट)
वित विभाग
सचिवालय, जयपुर।

विषयः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को जारी सहायतार्थ अनुदान (योजनावार तथा संस्थावार) का सैंकशन डेटाबेस (Sanction database) तैयार करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा वर्ष 2009-2010 से वित लेखे के प्रारुप में संशोधन किया था जिसके अनुसार परिशिष्ट-IV में स्थानीय निकायों, पंचायतीराज संस्थाओं, स्वायतशाषी संस्थाओं आदि को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायतार्थ अनुदान की राशि को योजनावार तथा संस्थावार दिखाया जाना है।

परिशिष्ट को निर्धारित प्रारुप में तैयार कर लेखों को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों, पंचायतीराज संस्थाओं, स्वायतशाषी संस्थाओं आदि को जारी की जा रही सहायतार्थ अनुदान की स्वीकृतियों का एक डाटाबेस तैयार किया जाना है जिसमें निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जावे जिसका प्रारुप संलग्न है।

1. वित विभाग द्वारा संबंधित विभाग को जारी स्वीकृति संख्या, लेखामद, योजना का नाम, जिस विभाग को स्वीकृति जारी की गयी उसका नाम तथा स्वीकृति की कुल राशि।
2. संबंधित विभाग पंचायतीराज, ग्रामीण विकास आदि द्वारा वित विभाग की स्वीकृति के अनुसार योजनावार प्रत्येक कार्यकारी संस्था को जारी की गयी राशि को डाटाबेस में सम्मिलित किया जाना है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य के लेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से एकीकृत वितीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) योजना पर कार्य किया जा रहा है अतः उक्त लेखा संबंधी requirement को आई.एफ.एम.एस. योजना के क्रियान्वयन के दौरान समाविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

फिलहाल वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आंकड़े सॉफ्ट कापी में तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,

(हेम राज गुप्ता)
वरिष्ठ लेखाधिकारी/टी.एम.

संलग्न- उपरोक्तानुसार

Janpath, Jaipur 302005, Tel.:2385431-39, Gram: Accounts, Fax: (0141) 2385263
E-Mail: agaerajasthan@cag.gov.in

APPENDIX No. IV - GRANTS-IN-AID (SCHEME WISE AND INSTITUTION WISE)

Recipients	Scheme	Tribal Sub plan/ Sc. Castes Sub plan/ Normal/ Finance Commission/ EAP	current year			
			Non Plan	Plan	CSS	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				(₹in lakh)		

Of the Total amount released, amount sanctioned for creation of assets (from Sanction Order/ Scheme Design)	previous year				Of the Total amount released, amount sanctioned for creation of assets (from Sanction Order/ Scheme Design)
	Non plan	Plan	CSS	Total	
8.	9.	10.	11.	12.	13.
		(₹in lakh)			